

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/23/3311

दिनांक: 03.09.2024

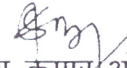
आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1871 दिनांक 05.07.2024 द्वारा श्रीमती सावित्री देवी स्वामी पार्षद वार्ड संख्या 10 को अध्यक्ष नगरपालिका नरायना के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया गया था जिसकी अवधि दिनांक 02.09.2024 को पूर्ण हो गयी है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सावित्री देवी स्वामी पार्षद वार्ड संख्या 10 को अध्यक्ष नगरपालिका नरायना के पद का कार्यभार पूर्व आदेशों की निरन्तरता में 60 दिवस से अनधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/23/3312-3323

दिनांक: 03.09.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/जिला कलक्टर जयपुर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी, नरायना।
9. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नरायना।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी